निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 55/2025
दायरा दिनांक –01.07.2025
निर्णय दिनांक – 17.12.25

उनवान

1. प्रेमनारायण आयु 60 वर्ष पुत्र देवीलाल जाति नाथ निवासी ग्राम बड़ोदिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 17-12-25

अभिभाषक उपस्थितः– 1. श्री राजेश कुमार भार्गव – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136, एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल बड़ोदिया पटवार हल्का झरखेड़ी तहसील छवड़ा जिला वारां (राज०) की भूमि खाता संख्या 44 की खसरा नंबर 55/1 रकबा 1.4923 है० भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा पूर्ण दर्ज जमाबंदी संवत् 2074–2077 में अंकित चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1 में उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की पैत्रिक सम्पत्ति है। जिस पर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित पैत्रिक भूमि का नामान्तरण खोलते समय पटवारी हल्का द्वारा सहवन से प्रार्थी का घर व गांव में बोलता नाम प्रेमलाल पुत्र देवीलाल अमल दरामद कर दिया गया है। प्रार्थी का घर में बोलता नाम प्रेमलाल है एवं दस्तावेजी नाम प्रेमनारायण पुत्र देवीलाल है। प्रार्थी का नाम प्रेमलाल दर्ज होना लिपिकीय त्रुटि है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त गलती को दुरूस्त नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपनी पैत्रिक सम्पत्ति के अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। उक्त लिपिकीय त्रुटि के कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारों के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। जिसके कारण प्रार्थी को केन्द्र व राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिससे प्रार्थी अपनी उक्त भूमि को उन्नत करने में अक्षम है, ना तो प्रार्थी को केसीसी मिल रही है और ना ही विद्युत कनेक्शन ले पा रहा है। इसलिए प्रार्थी को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रार्थी ने उक्त

उपखण्ड अधिकारी
छवड़ा (बारां)

गलती को ठीक / सही करवाकर प्रेमलाल के स्थान पर प्रेमनारायण दर्ज करवाने के लिए कई प्रयास किए। परंतु प्रार्थी को कभी कोई सफलता नहीं मिली। अंततः प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार साहब छबड़ा से निवेदन किया तो उन्होंने श्रीमान न्यायालय से नाम दुरूस्ती का आदेश लाने की हिदायत दी। इसलिए श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर पैरोकार सरकार को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब/रिपोर्ट प्राप्त जो शा.मि है प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बडौदिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 44 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बडोदिया नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2081 पेश की गई। फोटो प्रति पेन कार्ड आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड जन आधार की प्रति पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बडौदिया तहसील छबडा में स्थित है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त विवादित आराजी पैत्रक सम्पत्ति है जिस पर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि का नामान्तरण खोलतें समय हल्का पटवारी द्वारा सहवन से प्रार्थी का नाम प्रेमलाल पुत्र देवीलाल दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम प्रेमनारायण पुत्र देवीलाल है प्रार्थी का नाम प्रेमलाल दर्ज होना लिपीकीय त्रृटि है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। आवश्यक है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी का केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है इसलिए प्रार्थी को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड रहा है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात में प्रेमनारायण पुत्र देवीलाल दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड में प्रेमनारायण गलत दर्ज कर दिया जिसे प्रार्थी दुरूस्त कराने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि प्रेमलाल पुत्र देवीलाल के स्थान पर प्रेमनारायण पुत्र देवीलाल राजस्व ग्राम बडौदिया के खाता संख्या 44 में करवाना चाहता है जिसके लिए राजस्व रिकार्ड का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि उक्त भूमि पैत्रक भूमि है जिसमें प्रेमलाल पुत्र देवीलाल ही नाम है एवं इसके लिए राजस्व ग्राम बडौदिया के खसरा नम्बर 55/1 के मौके पर पहुंचा ओर ग्राम वासियों एवं आस पास कके पडौसियों से पुछा गया तो बताया कि प्रेमलाल को प्रेमनारायण के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात प्रेमनारायण उर्फ प्रेमलाल एक ही व्यक्ति होना बताया है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बडैदिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 44 में प्रार्थी का नाम प्रेमलाल पुत्र देवीलाल जाति नाथ दर्ज है नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2081 में प्रेमलाल पुत्र देवीलाल जाति नाथ दर्ज है फोटो आधार कार्ड पेन कार्ड परिवार राशन कार्ड जन आधार कार्ड में प्रेमनारायण पुत्र देवीलाल दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में प्रेमनारायण एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रेमलाल दर्ज है जिसे प्रार्थी प्रेमलाल के स्थान पर प्रेमनारायण दर्ज करवाना चाहता है तहसीलदार छवडा की रिपोर्ट में भी प्रेमलाल व प्रेमनारायण एक ही व्यक्ति होना बताया है तहसीलदार छवडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम वडौदिया तहसील छवडा के खसरा नम्बर 55/1 रकवा 1.4923 है0 में दर्ज प्रेमलाल पुत्र देवीलाल के स्थान पर प्रेमनारायण पुत्र देवीलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छवडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छवडा

उपखण्ड अधिकारी
छवड़ा (राज.)